

—: निविदा सूचना :-

रजिस्ट्रीकृत प्लेसमेन्ट एजेन्सियो से जॉब बेस/विजिटिंग आधार पर विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी संचालन हेतु निम्न सेवाएँ अनुबन्ध के आधार पर मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।

| क्र. सं. | जॉब बेस/विजिट कार्य प्रवृत्ति   | अनुमानित संख्या | अनुमानित व्यय | धरोहर राशि | निविदा प्रपत्र मूल्य | निविदा प्रपत्र विक्रय अंतिम तिथि   | निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक      | निविदा खोलने की दिनांक          |
|----------|---|-----------------|---------------|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | मैनेजर / कोर्डिनेटर-1,<br>सोशल वर्कर कम<br>अर्ली चाईल्ड हुड<br>एजूकेटर-1,<br>चौकीदार-1,<br>ए.एन.एम./ नर्स-1,<br>आया-6<br>(जॉब बेस),<br>डॉक्टर-1 (विजिटिंग<br>बेस) | 11              | 10,80,000     | 21600      | 400                  | 16-01-2017<br>सायं 05:00 बजे<br>तक | 17-01-2017<br>दोपहर 12:00<br>बजे तक | 17.01.2017<br>दोपहर 3:00<br>बजे |

- 1 निविदाओं से दी जाने वाली दरे एक वर्ष तक मान्य रहेगी तथा आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
- 2- निविदा के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण को विभाग की वेबसाईट [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in) या <http://:sppp.raj.nic.in> एवं डी आई पी आर की वेबसाईट [www.dipronline.org](http://www.dipronline.org) पर देखा जा सकता है। एवं डाउनलोड किया जा सकता है। यां इस कार्यालय से निर्धारित तिथि तक रु 400 शुल्क देकर प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर निविदा प्रपत्र लिए जा सकते हैं।
- 3 यदि निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र का भुगतान किसी भी शिड्यूल द्वारा जारी किया गया डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो कि सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ को के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र जमा कराते समय साथ में दिया जावे अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जावेगा।

सहायक निदेशक

बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई  
हनुमानगढ़

दिनांक :— 23/12/16

क्रमांक :— आईसीपीएस / 3240-45

1. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार आपकी विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभाग की वेबसाईट एवं SPPP Portal पर प्रकाशन कराने का श्रम करावे।
3. नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र हनुमानगढ़ / कलेक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ / स्थानीय कार्यालय हनुमानगढ़।

सहायक निदेशक

बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई  
हनुमानगढ़

कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़(राज.)  
क्रमांक :—आईसीपीएस / हनुमानगढ़ / 3249 दिनांक :— 23/12/16

दिनांक :- 23/12/16

## निविदा प्रपत्र

**विषय :-** सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ के अधीन संचालित राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेन्सी के संचालन हेतु जोब बेस / विजिट बेस पर कार्य करवाने हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था / फर्म / एजेन्सी का नाम व डाक का पूरा पता .....

..... दूरभाष नम्बर ..... मोबाईल नम्बर .....

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक .....

3. निविदा शुल्क की राशि रु: 400/- रसीद संख्या ..... दिनांक ..... से जमा कराई गई।

4. धरोहर राशि हेतु सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / ड्राफट संख्या..... दिनांक ..... राशि रु..... सलंगन है।

5. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन नम्बर एवं दिनांक ..... वैधता अवधि .....  
 .....(प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सलंगन करे)।

6. आयकर विभाग द्वारा जारी फर्म का PAN NO. ....

11. सलंगन कार्य विवरणानुसार सेवा प्रदाय करने हेतु दरे निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | सेवा का नाम व विवरण                  | सेवा का आधार (प्रति व्यक्ति)   | निविदा दाता द्वारा प्रदत्त दरें |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1        | मैनेजर / कोर्डिनेटर                  | जॉब बेस                        |                                 |
| 2        | सौशल वर्कर कम अर्ली चाल्ड-हुड एजकेटर | जॉब बेस                        |                                 |
| 3        | चौकिदार                              | जॉब बेस                        |                                 |
| 4        | ए.एन.एम. / नर्स                      | जॉब बेस                        |                                 |
| 5        | डॉक्टर                               | विजिटिंग बेस (साप्ताहिक विजिट) |                                 |
| 6        | आया                                  | जॉब बेस                        |                                 |

12. उपर्युक्त अंकित दरें एक वर्ष (आपूर्ति प्रारम्भ होने की तिथि से) के लिये मान्य है। समयावधि में वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है।

13. निविदा सूचना संख्या..... दिनांक ..... जो कि जिला सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ के द्वारा जारी की गयी है, मैं वर्णित सभी शर्तों की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो सलंगन पृष्ठ में दी गयी हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता  
संस्था / फर्म / एजेन्सी की सील

**कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़(राज.)**

**तकनीकी निविदा**

| ग्रुप | क्र० सं० | विवरण   | अधिकतम अंक  | प्राप्तांक |
|-------|----------|---|-------------|------------|
| ए     | 1        | प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में भोजन बनवाने / चौकीदारी/ कम्प्यूटर ऑपरेटर वगैहरा कार्मिक उपलब्ध कराने का 5 वर्ष से अधिक का अनुभव प्रमाण पत्र   | 20          |            |
|       | 2        | प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में भोजन बनवाने / चौकीदार/ कम्प्यूटर ऑपरेटर वगैहरा कार्मिक उपलब्ध कराने का 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र  | 10          |            |
|       | 3        | प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में भोजन बनवाने / चौकीदार/ कम्प्यूटर ऑपरेटर वगैहरा कार्मिक उपलब्ध कराने का 1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र  | 10          |            |
| बी    | 1        | संस्था का गत 3 वर्षों का औसत टर्न ओवर 20 लाख रु० से अधिक होने पर (2013–14,2014–15 एवं 2015–16) सनदी सीए द्वारा आडिट (आय व्यय, प्राप्ति भुगतान एवं बैलेन्स शीट) एवं तीन वर्षों की संस्था की आयकर रिटर्न  | 20          |            |
|       | 2        | संस्था का गत 3 वर्षों का औसत टर्न ओवर 50 लाख रु० से अधिक एवं 20 लाख से कम होने पर (2013–14,2014–15 एवं 2015–16) सनदी सीए द्वारा आडिट (आय व्यय, प्राप्ति भुगतान एवं बैलेन्स शीट) एवं तीन वर्षों की संस्था की आयकर रिटर्न   | 10          |            |
|       | 3        | संस्था का गत 3 वर्षों का औसत टर्न ओवर 50 लाख रु० से अधिक एवं 20 लाख से कम होने पर (2013–14,2014–15 एवं 2015–16) सनदी सीए द्वारा आडिट (आय व्यय, प्राप्ति भुगतान एवं बैलेन्स शीट) एवं तीन वर्षों की संस्था की आयकर रिटर्न   | 10          |            |
| सी    | 1        | सर्विसटैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि है तो 10 नम्बर) 31.03.16 तक जमा करवाये गये सर्विस टैक्स की रिटर्न (यदि है तो 5 नम्बर) (शून्य की रिटर्न मूल्याकांन बाबत मान्य है)   | (5+5)<br>10 |            |
| डी    | 1        | श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र (वाणिज्य एवं दुकान छोड़कर) यदि वर्ष 2016–17 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है तो वह प्रमाण पत्र देवे। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अंक दिये जावेगे।<br>नोट :- वर्तमान रिथित में बिड सफल होने पर करार पत्र के साथ नवीनतम श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, का शपथ पत्र (एजेंसी के लेटर पेड पर) | 10          |            |
|       |          | <b>कुल योग</b>  | <b>100</b>  |            |

**नोट :-** निविदादाता के उपरोक्त विवरण के अनुसार कम से कम 70 अंक प्राप्त होने पर तकनीकी निविदा सफल होगी एवं तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगे।

**सहायक निदेशक  
बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई  
हनुमानगढ़**

राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेन्सी के संचालन हेतु जोब बेस / विजिट बेस पर कार्य विवरण :-

| क्र.सं. | पद का नाम मय योग्यता  | कार्य का विवरण  |
|---------|---|---|
| 1.      | मैनेजर / कॉर्डिनेटर<br>(स्तानक एवं कम्प्यूटर<br>का<br>ज्ञान तथा बाल कल्याण<br>के<br>क्षेत्र दो वर्ष अनुभव)              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित बच्चों का SAA में प्रवेश तथा पंजीकरण करना।</li> <li>2. प्रवेशित बच्चे के प्रवेश संबंधी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करना।</li> <li>3. बाल कल्याण समिति के आदेश पश्चात बच्चे के पंजीकरणकी रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई, राज्य दत्तक ग्रहण ऐजेन्सी को देना।</li> <li>4. प्रवेशित बच्चों का कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन डाटाबेस संधारण एवं कम्प्यूटर से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन करना।</li> <li>5. प्रवेशित बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।</li> <li>6. दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता का पंजीकरण करना।</li> <li>7. बच्चे को त्यागने / समर्पित करने वाले जन्मदाता माता-पिता / अविवाहित माता को उचित सलाह एवं पुनर्वास देना।</li> <li>8. प्रवेशित बच्चों के दत्तक ग्रहण या नियोजन के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं का फॉलोअप करना।</li> <li>9. प्रवेशित बच्चे, जन्म देने वाले माता-पिता तथा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड का संधारण करना।</li> <li>10. प्रवेशित बच्चों से संबंधित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट DCPU, SARA भेजना।</li> </ol> |
| 2.      | सोशल वर्कर कम अर्लि चाईल्ड-हुड एजूकेटर<br>(स्तानक एवं कम्प्यूटर का<br>ज्ञान तथा बाल कल्याण के<br>क्षेत्र दो वर्ष अनुभव) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रवेशित बच्चों की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा शारीरिक जांच रिपोर्ट तैयार करना।</li> <li>2. प्रवेशित बच्चों से संबंधित समस्त रिकॉर्ड को कम्प्यूटर में संधारित करना।</li> <li>3. सक्षम प्राधिकारी के पास बच्चे, के जन्म का पंजीकरण करवाना।</li> <li>4. दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता को दत्तक ग्रहण सेपूर्व एवं पश्चात परामर्श उपलब्ध करवाना।</li> <li>5. दत्तक ग्रहण में दिये गये बच्चों का फॉलोअप करना।</li> </ol>  |
| 3.      | नर्स / ए.एन.एम.<br>(निर्धारित योग्यताधारित)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रवेशित बच्चों के चिकित्सकीय पउचार से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन करना।</li> <li>2. बच्चों की नियमित चिकित्सा जॉच करवाना तथा उससे संबंधित समस्त रिकॉर्ड का संधारण करना।</li> <li>3. प्रविशित बच्चों की चिकित्सकीय देखभाल एवं आवश्यक औपचारिकों की व्यवस्था एवं रिकॉर्ड संधारण करना।</li> </ol>   |
| 4.      | डॉक्टर (बाल रोग विशेषज्ञ ) (पार्ट टाईम)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा साप्ताहित विजिट एवं बच्चों का चेकअप।</li> </ol>   |

|   |         |  |
|---|---------|--|
| 5 | आया     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. शिशु गृह के समस्त शिशुओं का लालन—पालन व देखभाल करना जैसे शिशुओं को नहलान, तैयार करना, कपड़े धोना, दूध पिलाना, बिस्तर बिछाना इत्यादि।</li> <li>2. शिशुओं के मलमूत्र की सफाई करना।</li> <li>3. शिशु गृह परिसर की साफ—सफाई व देखरेख करना।</li> <li>4. शिशुओं के कपड़ों, खिलौनों, जूते—चप्पलों आदि की समुचित देखभाल, रख—रखाव व सुरक्षा करना।</li> <li>5. शिशुओं को अस्पताल आदि लाने, ले—जाने में सहयोग करना।</li> <li>6. शिशु गृह के अस्पताल में भर्ती शिशुओं की एवं अनके सामान की समुचित देखभाल व सुरक्षा करना।</li> <li>7. शिशु गृह के अस्पताल में भर्ती शिशुओं की एवं उनके सामान की समुचित देखभाल व सुरक्षा करना।</li> <li>8. शिशुओं को गृह से बाहर ले जाते समय मार्ग में सुरक्षित रखना।</li> <li>9. शिशुओं कि भोजन विवरण व खिलाने में सहयोग करना।</li> <li>10. शिशुओं की सुरक्षा व बचाव संबंधी व्यवस्थाओं की देखभाल करना।</li> </ol> |
| 6 | चौकीदार | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. गृह में आवासित शिशुओं एवं परिसर की सुरक्षा का कार्य करना।</li> </ol>   |

## —:: निविदा की सामान्य शर्तेः :-

1. निविदा ठीक प्रकार से मुहरबन्द अलग—अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा लिफाफे पर जिस कार्य हेतु निविदा दी जाती हैं उसका नाम स्पष्ट रूप ये लिखा हुआ होना चाहिये। निविदा विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. कार्य की अवधि कार्यादेश में स्वीकृति तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। जिसे सरकार द्वारा तीन माह बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए अनुबन्धित फर्म कार्य करनें के लिए बाध्य हैं व दोनों पक्षों की आपसी सहमती से अनुबंध अवधि तीन माह और बढ़ाई जा सकती है।
3. निविदादाता / संस्था / फर्म / ऐजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अद्वशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करनें का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियाँ निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
4. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा निविदा के साथ जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि को अमानत राशि (S.D) में समायोजित कर लिया जाएगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करनें पर धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा अवस्यक एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहनें या राजकीय अवकाश के दिनों में अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करनें का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ को होगा।
7. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ को होगा।
8. न्यूनतम दरों स्वीकार / अस्वीकार करनें का अधिकारी विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. सेवा प्रदायकर्ता को अनुबंध कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को कार्य सबलेट नहीं करेगा।
10. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
11. अनुबंध के सम्बन्ध में अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. सेवा प्रदाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करनें / अवांछित गतिविधियों से लिप्त पायें जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करनें सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदायकर्ता को देता हैं तो सेवा प्रदाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
13. सेवा प्रदायकर्ता को अनुबंध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध करायें गये कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदायकर्ता को अपनें कर्मकारों को पहचान / परिचय पत्र उपलब्ध करानें होंगे।
14. सेवा प्रदायकर्ता से संबंधित कोई भी सूचना सेवा प्रदायकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु सेवा प्रदायकर्ता को अनुबंध स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि सेवा प्रदाता के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करनें एवं वांछित सूचना उपलब्ध करानें के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउंड दॉ क्लॉक अधीक्षक के सम्पर्क में रहेगा एवं कार्यालय के द्वारा समय—समय पर दियें जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करनें के लिए उत्तरदायी होगा।

16. सफल सेवा प्रदाता द्वारा भोजन बनाने के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें गये कर्मकार की कार्यावाधि अनुबंध के अनुसार की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किरणी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
17. कार्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मकारों की संख्या को कम व अधिक करने का अधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा।
18. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करायें जाएंगे। यदि किसी समय सेवा प्रदाता द्वारा आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करायें जाने पर कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकिलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।
19. सेवा प्रदाता को श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाएँ आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदायकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह सेवा प्रदाता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। सेवा प्रदाता व अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य घण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार का रिकोर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगों जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
21. निविदा अनुमोदन होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा निर्धारित शुल्क के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय सम्बन्धि फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
22. सेवा प्रदाता द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा चाहें बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। सेवा प्रदाता जिस दिन व समय पर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा वह दिन व समय कार्यालय को अनुबन्ध प्रारम्भ होते ही सूचित करेगा।
23. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में एजेन्सी को स्वीकृत अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ को होगा।
24. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती हैं या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग होता हैं तो उसकी समस्त दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। इसके लिए सरकार या बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
25. यदि सेवा प्रदाता किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता हैं और इसमें बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ कार्यालय को भी पक्षकार को भी बनाता हैं तो बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ प्रशासन पर पद्धतें ताला समस्त भार सेवा प्रदाता से वसला जाएगा।

26. यदि सेवा प्रदाता एवं कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता हैं तो उसकी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता व होगी। बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ के कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा।
27. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ का निर्णय अंतिम होगा व सेवा प्रदाता को मानना होगा।
28. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही सम्बन्धित जिला स्थित न्यायालय में ही होगी।
29. संस्था को भारत सरकार/राजस्थान सरकार के किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेल नहीं किए जाने का 100 रु के नॉन ज्यूडीश्यल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

सहायक निदेशक

बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 29 तक को भली भांति पढ़ लिया हैं एवं समझ लिया हैं। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करनें के लिए सहमत हैं। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारें द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हमारें द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्ररिशिष्ट “अ” एवं परिशिष्ट “ब” संलग्न हैं।

दिनांक:—

हस्ताक्षर सेवा प्रदाता एवं नाम

## घोषणा—पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं  
लगाई है यदि कही अंकित कर दी गई हो तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जावेगी।

यह है कि श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है उसका पंजीयन  
संख्या ..... दिनांक ..... है यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य  
कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई  
हो तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर लेगा।

दिनांक :—

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पता